वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2008, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2008 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग 114000.50 करोड़ रुपए और 104872.36 करोड़ रुपए थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2008 were Rs. 114000.50 crores and Rs.104872.36 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्राालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

- I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष	िके दौरान	वर्ष के	गारंटी	कमीशन	अन्य
	गारंटीक त	आरंभ में	दौरान	दौरान	मां	ांगी गई	अंत में	अथव	वा फीस	तात्विक
	अधिकतम	बकाया	परिवर्धन	विलोपन			बकाया			ब्योरे
	राशि			(वर्ष के दौरान						
				याचित के						
				अलावा)						
Name of Ministry	Maximum	Outstanding		Deletion	Invoke	d during	Outstanding		arantee	Other material
	Amount	at the	during the	during the	the	e year	at the		mission	details
	Guaranteed during the	beginning of the year	year	year (Other			end of the year	01	r Fee	
	year	the year		than	उन्मोचित	अननुमोचित	the year			
	year			invoked	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई	
				during the	Distingen	Discharged		Receivable	Received	•
				year)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									,	
									(ক	रोड़ रुपयों में)
										रोड़ रुपयों में) crore of rupees)
कृषि मंत्राालय—										
कृषि मंत्राालय— MINISTRY OF										
C										
MINISTRY OF AGRICULTURE—										
MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग										
MINISTRY OF AGRICULTURE—	1143.59	697.25	446.34	621.77	_	_	521.82	0.05		
MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of	1143.59 (16)				_	_	521.82 (14)	0.05		
MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of		697.25 (15)	446.34 (1)	621.77 (2)	_	_		0.05		
MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of					_	_		0.05		
MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of					_	_		0.05		
MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Cooperation					_	_		0.05		
MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Cooperation	(16)	(15)		(2)	_		(14)		(În -	

6 .										
वित्त मंत्राालय —										
MINISTRY OF FINANCE —										
आर्थिक कार्य विभाग										
Department of Economic Affairs	58.69	58.69*	_	_	_	_	58.69	_	_	_
	(2)	(2)*					(2)			
उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वि	तरण मंत्राालय									
MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND										
PUBLIC DISTRIBUTION	34495.06	33100.06	1395.00	0.02	_	_	34495.04	_	_	_
	(3)	(2)	(1)				(3)			
उद्योग मंत्राालय —										
MINISTRY OF COMMERCE AN	D INDUST	RY—								
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industries	1135.30	676.91	458.39	535.03	_	_	600.27	6.65	0.13	_
	(28)	(19)	(9)	(9)			(19)			
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्राालय,										
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
MINISTRY OF AGRO & RURAL	,									
INDUSTRIES, KHADI & VILLAC	ЭE									
INDUSTRIES COMMISSION	318.18	318.18	_	8.08	_	_	310.10	48.63	_	_
	(1)	(1)					(1)			
रसायन और उर्वरक मंत्राालय—										
MINISTRY OF CHEMICALS										
AND FERTILISERS—										
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग										
Department of Chemicals and										
Petrochemicals	979.23	963.51	15.72	_	_	_	979.23	46.27		
	(6)	(6)					(6)			

^{*} वर्ष 2006-07 के अंत में बकाया से भिन्नता समाधान के कारण है।

* Variation with the outstanding at the end of the year 2006-07 is due to reconciliation.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीक त अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)		िक दौरान गिंग गई	वर्ष के अंत में बकाया		ं कमीशन वा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than		d during e year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Com	nrantee mission Fee	Other material details
				invoked during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गइ Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									`	रोड़ रुपयों में) crore of rupees)
उर्वरक विभाग DEPARTMENT OF FERTILIS	ERS —	_	_	_	_	_	_	9.69	_	_
इस्पात मंत्राालय MINISTRY OF STEEL	205.00	205.00		10.00	_	_	195.00	6.32	6.32	_
WIN VIOLET OF STEEL	(4)	(4)		10.00			(4)	0.52	0.32	
जहाजरानी मंत्राालय MINISTRY OF SHIPPING	255.46	255.46 (1)	_	_	_	_	255.46 (1)	63.42	8.66	_
शहरी विकास मंत्राालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	28.00 (3)	28.00 (3)	_	_	_	_	28.00 (3)	_	_	_
जल संसाधन मंत्राालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	_	_	_	_	_	_	_	5.06	_	_

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

कृषि मंत्राालय- MINISTRY OF AGRICULTURE- कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and	_									
Cooperation	424.56	424.56	-	121.38	_	_	303.18	0.65	0.65	_
	(11)	(11)		(3)			(8)			
रसायन और उर्वरक मंत्राालय— MINISTRY OF CHEMICALS AN FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petro Chemicals	ND 100.00	100.00	_		_		100.00	_	1.00	
Tetro Chemicais	(1)	(1)					(1)		1.00	
विद्युत मंत्राालय MINISTRY OF POWER	786.16 (23)	786.16 (23)	_	269.50 (7)	_	_	516.66 (16)	1.23	1.23	_
वित्त मंत्राालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	9414.89 (81)	7914.89* (79)*	1500.00 (2)	718.63 (6)	195.50 (3)	_	8500.76 (72)	27.43	27.43	_

^{*} वर्ष 2006-07 के अंत में बकाया से भिन्नता समाधान के कारण है।

^{*} Variation with the outstanding at the end of the year 2006-07 is due to reconciliation.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष	i के दौरान	वर्ष के	गारंटी	कमीशन	अन्य
	गारंटीक त	आरंभ में	दौरान	दौरान	मां	ंगी गई	अंत में	अथव	ा फीस	तात्विक
	अधिकतम	बकाया	परिवर्धन	विलोपन			बकाया			ब्योरे
	राशि			(वर्ष के दौरान						
				्याचित के						
				अलावा)						
Name of Ministry	Maximum	Outstanding		Deletion		d during	Outstanding		rantee	Other material
	Amount	at the	during the	during the	the year		at the end of		mission Fee	details
	during the	beginning of the year	year	year (Other			the year	Of	ree	
	year	J. J		than	उन्मोचित	अननुमोचित	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	·			invoked	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई	
				during the	_	Discharged		Receivable	Received	
1	2	2	4	year)		7	0	0	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									`	रोड़ रुपयों में)
उद्योग मंत्राालय —									(In	crore of rupees)
	ND INDLICTI)V								
MINISTRY OF COMMERCE A	ND INDUSTI	K1 —								
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industry	545.98	545.98	_	20.00	_	_	525.98	_	_	_
	(9)	(9)		(1)			(8)			
लघु उद्योग विभाग										
Department of Small Scale										
Industries	50.00	50.00	_	50.00	_	_		0.43	0.43	_
	(1)	(1)		(1)						
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक										
वितरण मंत्राालय										
MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND	10074.52	10074.52	_	1395.00	_	_	8679.52	_	_	_
PUBLIC DISTRIBUTION	(17)	(17)		(1)			(16)			

रेल मंत्राालय										
MINISTRY OF RAILWAYS	248.08	#248.08	_	114.00	_	_	134.08	2.48	2.48	_
	(4)	(4)					(4)			
इस्पात मंत्राालय										
MINISTRY OF STEEL	980.05	980.05	_	531.65	_	_	448.40	9.80	9.80	_
	(4)	(4)		(1)			(3)			
शहरी विकास मंत्राालय MINISTRY OF URBAN										
DEVELOPMENT	471.60	471.60	_	150.70	_	_	320.90	0.70	0.70	_
DE VELOT MENT	(16)	(16)		(4)			(12)	0.70	0.70	
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्राालय	. ,	, ,		. ,			,			
MINISTRY OF COMMUNICAT	ΓΙΟΝ									
AND INFORMATION TECHN	OLOGY									
_										
दूरसंचार विभाग										
DEPARTMENT OF	400.00	400.00					400.00	42.04		
TELECOMMUNICATIONS	409.00 (4)	409.00 (4)	_		_	_	409.00 (4)	42.04	_	_
	(7)	(7)					(Ŧ)			

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/ वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और निम्नलिखित कम्पिनयों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की पूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारांटियां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc: —

नागर विमानन मंत्राालय										
MINISTRY OF CIVIL AVIATION 6197.95		122.14	6075.81	55.08	_	_	6142.87	15.11	0.90	_
	(9)	(5)	(4)	(1)			(8)			
कोयला मंत्राालय										
MINISTRY OF COAL	2425.33	1798.80	626.53	221.48	_	_	2203.85	25.65	27.27	_
	(5)	(3)	(2)				(5)			

[#] पिछले वर्ष में पैरा-ii के अधीन दर्शाए गए ब्यौरे समाधान करने पर पैरा,पप के अधीन सम्मिलित कर दिए गए हैं।

[#] The details shown in the previous year's under Para-iv have been clubbed under Para-ii on reconciliation.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरा गारंटीक त अधिकतम राशि	न वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के	मां	िके दौरान गिंग गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन II फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guarantee during the year	at the d beginning of	Additions during the year	সলাবা) Deletion during the year (Other than		d during e year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Comi	rantee mission Fee	Other material details
	year			invoked during the	Discharged	Not Discharge		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	£
1	2	3	4	year) 5	6	7	8	9	10	11
										रोड़ रुपयों में) crore of rupees)
विद्युत मंत्राालय										
MINISTRY OF POWER	13471.73 (43)	11832.51 (43)	1639.22	969.41 (4)	_	_	12481.57* (39)	129.79	129.79	_
वित्त मंत्राालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग										
Department of	25347.68	20412.43**	4935.25	2147.91	_	_	23076.45*	18.01	18.01	_
Economic Affairs	(69)	(67)**	(2)	(3)			(66)			
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राालय — MINISTRY OF COMMERCE A	.ND INDUS	ΓRY—								
लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग										
Department of Small Scale Indu & Agro-Rural Industries	18r1es 66.44	61.02	5.42	2.14	_	_	64.30	5.45	4.43	_
of rigio rental industries	(3)	(3)	5.72	۵.1٦			(3)	5.15	1.13	

MINISTRY OF NEW AND											
RENEWABLE ENERGY	654.10	616.55	37.55	40.13		_	602.74*	6.07	6.07	_	
	(3)	(3)					(3)				
इस्पात मंत्राालय											
MINISTRY OF STEEL	509.85	509.85	_	32.42	_	_	515.65*	1.20	1.20		
	(4)	(4)		(1)			(3)				
खान मंत्राालय											
MINISTRY OF MINES	162.50	162.50	_	_	_	_	162.50	3.09	3.09	_	
	(1)	(1)**					(1)				
शहरी विकास मंत्राालय											
MINISTRY OF URBAN											
DEVELOPMENT	629.76	629.76	_	41.28	_	_	588.48	5.16	5.16	_	
	(2)	(2)					(2)				
(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वार	। उधार के आधार	पर की गई पर्तिय	ग्रें ∕दी गई सेवाओ	के लिए निम्नलि	ाखित कंपनियों/नि	नेगमों द्वारा जार्र	किए गए प्राधिकार	र पत्रा के सम्बन्ध	में बैंकों को दी	गई प्रति-गारंटियां:	_
(iv) Counter-guarantees to bank		- 1									
basis, in favour of the co				, aca 1011015 01	additionally to 1	oreign supp	iors for supplie	5, 501 (1005 III.a.a	.e,1011de10d		
इस्पात मंत्राालय	лираниев, согра	rations.									
MINISTRY OF STEEL	620.36	620.36	_		_	_	620.36	33.04	6.20		
MINDIKI OI DILLL	(9)	(9)					(9)	33.04	0.20		
	())	())					())				
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राालय —											

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डी को दी गई गारंटियां:-

(9)

10.60

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

10.60

(9)

— शून्य / NIL —

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्राालय

10.60

(9)

^{*} अंतर विद्युत मंत्राालय के संबंध में 20.75 करोड़ रु., वित्त मंत्राालय के संबंध में 123.32 करोड़ रु., नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्राालय के संबंध में 11.23 करोड़ रु. और इस्पात मंत्राालय के संबंध में 38.22 करोड़ रु. के लिए विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन होने के कारण है।

^{*} Difference due to change in foreign exchange rates for Rs.20.75 crores in respect of Ministry of Power, Rs.123.32 crores in respect of Ministry of Finance, Rs.11.23 crores in respect of Ministry of New & Renewable Energy and Rs.38.22 crores in respect of Ministry of Steel.

^{**} वर्ष 2006-07 के अंत में बकाया से भिन्नता समाधान के कारण है।

^{**} Variation with the outstanding at the end of the year 2006-07 is due to reconciliation.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concld.

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीक त अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के		िके दौरान भी गई	वर्ष के अंत में बकाया	11 (-1	कमीशन व्रा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other than		d during e year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Com	arantee mission Fee	Other material details
				invoked during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों व(vi) Performance guarantees			.,			s in foreign c	countries: —		,	रोड़ रुपयों में) crore of rupees)
(vi) Terrormance guarantees	given for runni	nent of contrac	cts/projects a	warded to ma	ian companies	in foleigh e	ountres. —			
शहरी विकास मंत्राालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	_	_	_	_	_	_	_	1.50	_	_
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राालय — MINISTRY OF COMMERCE भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Indust			_		_	_	_	0.17	_	_
(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को (vii) Performance guarantees		- 1	0			es in foreign	countries:-			

— शून्य / NIL —